BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 30 अक्टूबर, 2022 **थाना ककोड**

मर्चेन्ट नेवी मे नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वादि आरुस गिरी निवासी ग्राम नंगला इलाहाबाद थाना चोला जनपद बुलन्दशहर ने दिनांक 23-12-2021 को एक व्यक्ति जो अपना नाम हर्ष बंसल तथा खुद को मर्चेन्ट नेवी मे कैप्टन बताता हैं उसके द्वारा वर्चुएल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का प्रय़ोग कर वादि की नौकरी मर्चेन्ट नेवी मे लगवाने के नाम पर करीब 80,000/-रूपये की ठगी करने के सम्बन्ध मे तहरीर दे कर थाना चोला पर मुअसं-69/21 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया तथा अभियोग की विवेचना थाना ककोड पर नियुक्त निरीक्षक अपराध श्री गोपाल शर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही थी, दौराने विवेचना अभियुक्त रजत सलारिया का नाम प्रकाश में आया। उक्त घटना के क्रम में थाना ककोड पुलिस द्वारा दिनांक 29-10-2022 को अभियुक्त रजत सलारिया को टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड थाना मुनि की रेती क्षेत्रान्तर्गत होटल आराधना पैलैस से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- रजत सलारिया पुत्र भोलानाथ निवासी ग्राम इटिंआ पोस्ट भगरान थाना हाजीपुर होशियारपुर पंजाब

अभियुक्त शातिर किस्म का ठग हैं जिसके द्वारा अपना नाम बदलकर मर्चेन्ट नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी की जाती हैं अभियुक्त द्वारा वर्चुएल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का प्रय़ोग कर पूरे देश में अन्य लोगों से ठगी करने की स्वीकारोक्ति की गयी हैं जिनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही हैं।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना ककोड पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1- श्री प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड
2- निरीक्षक अपराध श्री गोपाल शर्मा
3- व0उ0नि0 मनीष चन्द चौहान
4- का0 जय सिह , का0 दुर्गेश कुमार, म0आ0 कविता

मीडिया सेल बुलंदशहर